राजकीय नर्सेस संघ, उत्तर प्रदेश
RAJKIYA NURSES SANGH, UTTAR PRADESH

(Recognised by U.P. Govt. No. 4882/16-16-13-79-8 (201)-79 Dated 24-9-79)

कार्यालय :
मिडइफरी बिल्डिंग, नर्सेस हास्टल,
के०जी०एम०यू०, लखनऊ

संस्थापक :
प्रो. आर.के. दुबे

अध्यक्ष :
पूनम शर्मा
9935406547

महामंत्री :
अशोक कुमार
9415139203

कोषाध्यक्ष :
जितेन्द्र बहादुर सिंह
9450649900

उपाध्यक्ष :
राजेन्द्र शुक्ला
राकेश शर्मा
सुमित्रा पाण्डेय
सुशीला राज
जरीना कुरमिथ

संयुक्त सचिव :
तारा चौहान
महेन्द्र सिंह राठौर
हृदय नारायण राजपूत
शालिनी गटनागर
लीना एलिजाबेथ लाल

आडीटर :
इन्द्रा चतुर्वेदी

पत्रांक :

दिनांक : 15.5.2012

सेवा में,

मा० मंत्री जी,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश सरकार।

विषयः—**राजकीय नर्सेस संघ, उ0प्र0 की मांगों के संबंध में।**

महोदय,

आपका ध्यान राजकीय नर्सेस संघ, उ0प्र0 की निम्नलिखित लम्बित मांगों की ओर आकर्षित करते हुए सादर अवगत कराना है कि:—

क्रमांक	मांग	औचित्य	सुझाव
1.	भारत सरकार के मानकानुसार पदों का सृजन।	भारत सरकार के मानकानुसार 3 बेड पर 1 स्टाफ नर्स 8 घंटे हेतु तैनाती का प्राविधान है। उ0प्र0 में 10 बेड पर 1 स्टाफ नर्स 24 घंटे हेतु तैनात की जाती हैं, जिसके कारण कार्य का बोझ अत्यधिक बढ़ा हुआ है, जिससे मरीजों की देख–रेख सुचारू रूप नहीं हो पाती है। प्रदेश में लगभग 230 चिकित्सालयों में लगभग 60,000 बेड है। वर्तमान में नर्सेस सवर्ग के लगभग कुल 6,000 पद सृजित है। 14,000 पदों की अतिरिक्त आवश्यकता है (8 घंटे हेतु)।	1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष लगभग 500 रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र पर प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर तत्काल नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाय। 2. विगत 2 वर्षों में लगभग 14,000 नये पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा शासन को प्रेषित किये गये हैं, जिन पर स्वीकृति अपेक्षित है, जिसे अतिशीघ्र जारी कराने का कष्ट करें। 3. नये स्वीकृत किये जाने वाले पदों के सापेक्ष तैनाती स्टेट मेडिकल फेकल्टी, उ0प्र0 में पंजीकृत अभ्यर्थियों की वरिष्ठता के आधार पर बैचवाईज की जाय। 4. स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत अभ्यर्थियों को निम्नानुसार वरीयता दी जाय— (अ) ऐसे अभ्यर्थी, जो प्रदेश के सरकारी/मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूलों/कालेजों से शिक्षारत हैं, को प्रथम वरीयता। (ब) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा प्रदेश के बाहर किसी अन्य प्रदेश से नर्सिंग प्रशिक्षण लिये हैं, को द्वितीय वरीयता। (स) उक्त के अतिरिक्त अन्य पंजीकृत अभ्यार्थियों को कोई वरीयता न दी जाय। (द) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बी0एस0सी0 नर्सिंग बेसिक कोर्स या एम0एस0सी0 नर्सिंग किया हो, को भी सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए स्टाफ नर्स के पदों पर रखा जाय।

राजकीय नर्सेस संघ, उत्तर प्रदेश
RAJKIYA NURSES SANGH, UTTAR PRADESH
(Recognised by U.P. Govt. No. 4882/16-16-13-79-8 (201)-/79 Dated 24-9-79)

कार्यालय :
मिडइफरी बिल्डिंग, नर्सेस हास्टल,
के०जी०एम०यू०, लखनऊ

संस्थापक :
प्रो. आर.के. दुबे

अध्यक्ष :
पूनम शर्मा
9935406547

महामंत्री :
अशोक कुमार
9415139203

कोषाध्यक्ष :
जितेन्द्र बहादुर सिंह
9450649900

उपाध्यक्ष :
राजेन्द्र शुक्ला
राकेश शर्मा
सुमित्रा पाण्डेय
सुशीला राज
जरीना कुसमिथ

संयुक्त सचिव :
तारा चौहान
महेन्द्र सिंह राठौर
हृदय नारायण राजपूत
शालिनी भटनागर
लीना एलिजाबेथ लाल

आडीटर :
इन्द्रा चतुर्वेदी

पत्रांक : दिनांक .....

2.	(क) नर्सेस की पदोन्नति के सम्बन्ध में। (ख) नर्सिंग स्कूल में पदोन्नति के सम्बन्ध में। (ग) स्वास्थ्य विभाग के दो पद कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर के संबंध में।	उच्च पद से निम्न पद पर वरिष्ठता के आधार पर भरा जाय। इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के मानकानुसार समस्त नर्सिंग स्कूलों में रिक्त पदों को वरिष्ठता के आधार पर शिक्षा, अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए भरा जाय। स्वास्थ्य विभाग के दो पद कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर में काफी दिनों से रिक्त चल रहे पदों को अतिशीघ्र भरा जाय एवं वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स पुनः प्रारम्भ किया जाय।	नर्सिंग संवर्ग में काफी समय से पदोन्नति न किये जाने से संवर्ग के उच्च पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे नर्सिंग संवर्ग की सेवाओं में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर सीधे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की छवि पर पड़ रहा है तथा संवर्ग में कार्य के प्रति अरूचि उत्पन्न हो रही है एवं उदासीनता व्याप्त है। यदि समय से पदोन्नति हो जाती है, तो कार्य प्रणाली में अभूतपूर्व सुधार होगा। यदि प्रोन्नति वेतनमान मिल गया है, तो उन्हें पदनाम दिया जाय, जिसमें किसी भी प्रकार का व्यय भार नहीं पड़ेगा। प्रदेश के समस्त नर्सिंग स्कूल आई0एन0सी0 के मानक के अनुरूप नहीं है। अतः मानक के अनुरूप समस्त पदों को अतिशीघ्र सृजित कर भरा जाय।
3.	निदेशक(नर्सिंग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पद का सृजन।	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ में चिकित्सक संवर्ग के निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक आदि के पद सृजित हैं, किन्तु नर्सिंग संवर्ग के संयुक्त निदेशक एवं सहायक निदेशक के उच्च पद ही सृजित हैं, जिससे वर्तमान में बदली हुई परिस्थितियों में प्रशासनिक अधिकारों के दायित्वों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। पूर्व में संयुक्त निदेशक एवं सहायक निदेशक को नियुक्ति/स्थानान्तरण एवं पदोन्नति आदि के अधिकार प्रदत्त थे, जबकि वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है।	अन्य राज्यों की भांति एवं प्रदेश में चिकित्सक संवर्ग के पदों के अनुसार ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ में निदेशक(नर्सिंग) का पद सृजित किया जाय, जिससे नर्सिंग संवर्ग का समस्त प्रशासनिक कार्य नर्सेस संवर्ग के अधिकारियों द्वारा ही सम्पादित किया जाय।
4.	केन्द्र सरकार के समान नर्सिंग/बोर्डिंग एलाउंस, यूनीफार्म, वाशिंग, शिक्षा एवं अन्य भत्ते आदि दिये जाने के संबंध में।	भारत सरकार में नर्सिंग कर्मियों को नर्सिंग/बोर्डिंग एलाउंस रु0 3200/- प्रतिमाह तथा यूनीफार्म/वाशिंग एलाउंस रु0 800/- प्रतिमाह अनुमन्य है, जो डी0ए0/वेतन बढ़ने पर 25 से 50 प्रतिशत तक बढाया जा सकता है। जबकि उ0प्र0 में नर्सिंग कर्मियों को नर्सिंग/बोर्डिंग एलाउंस रु0 115/- प्रतिमाह तथा यूनीफार्म एलाउंस रु0 1437.50 पांच वर्ष में एक बार एवं वाशिंग एलाउंस रु0 50/- प्रतिमाह ही	शासन के पत्र संख्या-459(1) -5/11/2009 प-1(78)/2008, दिनांक 17.02.2009 द्वारा भारत सरकार के अनुरूप नर्सिंग/बोर्डिंग एलाउंस, यूनीफार्म, वाशिंग, शिक्षा एवं अन्य भत्ते आदि दिये जाने की संस्तुति की गयी है, किन्तु अभी तक स्वीकृति जारी नहीं हुई है, जिसे तत्काल जारी कराया जाना आवश्यक है।

राजकीय नर्सेस संघ, उत्तर प्रदेश
RAJKIYA NURSES SANGH, UTTAR PRADESH

(Recognised by U.P. Govt. No. 4882/16-16-13-79-8 (201)-/79 Dated 24-9-79)

कार्यालय :
मिडइफरी बिल्डिंग, नर्सेस हास्टल,
के०जी०एम०यू०, लखनऊ

संस्थापक :
प्रो. आर.के. दुबे

अध्यक्ष :
पूनम शर्मा
9935406547

महामंत्री :
अशोक कुमार
9415139203

कोषाध्यक्ष :
जितेन्द्र बहादुर सिंह
9450649900

उपाध्यक्ष :
राजेन्द्र शुक्ला
राकेश शर्मा
सुमित्रा पाण्डेय
सुशीला राज
नरीना कुसमिथ

संयुक्त सचिव :
तारा चौहान
महेन्द्र सिंह राठौर
हृदय नारायण राजपूत
शालिनी भटनागर
नीना एलिजाबेथ लाल

आडीटर :
इन्द्रा चतुर्वेदी

पत्रांक : दिनांक :..................

		अनुमन्य है। उक्त से स्वयं यह स्पष्ट है कि इतनी कम धनराशि से नर्सों को साफ–सुथरी वर्दी में ड्यूटी पर आना संभव नहीं हो पा रहा है।	
5.	पृथक नर्सिंग सेल का गठन।	नर्सिंग संवर्ग की समस्याओं एवं उनके समाधान आदि पर सुचारू रूप से कार्यवाही पृथक नर्सिंग सेल के गठित होने से संभव है। इनके कार्य की गुणवत्ता में सुधार भी लाया जा सकता है।	भारत सरकार द्वारा नर्सिंग सेल के गठन की आवश्यकता के संबंध में अपने पत्र संख्या–जे०028015 / 53(12) / 08–एन0, दिनांक 17.03.2010 द्वारा रु0 1.00 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है, किन्तु प्रदेश में उक्त सेल का गठन अभी तक नहीं किया गया है। उक्त धनराशि से प्रदेश में नर्सिंग सेल के गठन हेतु तत्काल कार्यवाही कराने की कृपा करें।
6.	नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स में सुधार।	वर्तमान में जी0एन0एम0 कोर्स लागू है, जिसमें इण्टरमीडिए के अभ्यर्थी प्रशिक्षण ले सकते हैं, इसे बी0एस0सी0 नर्सिंग कोर्स में परिवर्तित किया जाय।	शासन के वित्त (वेतन आयोग) के अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–2059 / दस–54 (एम) / 2008 टी0सी0, दिनांक 08.09.2010 के पेज–3 के प्रस्तर-3 में यह उल्लेख है कि प्रदेश में बी0एस0सी0 नर्सिंग की डिग्री प्रदान करने हेतु अतिरिक्त क्षमता सृजित की जाय तथा यथावश्यक अतिरिक्त संस्थान स्थापित किये जायं। भारत सरकार द्वारा जी0एन0एम0 प्रशिक्षण को उच्चीकृत करते हुए बी0एस0सी0 नर्सिंग कोर्स शुरू कर दिया गया है, इसी प्रकार प्रदेश में भी लागू किया जाय।
7.	पुरूष नर्सेस की नियुक्ति / प्रशिक्षण में स्थान की बढ़ोत्तरी।	वर्तमान में नर्सेस संवर्ग में 5 प्रतिशत पुरूष अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण एवं नियुक्ति का प्राविधान है, जिसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाय, क्योंकि महिला नर्सेस जिन स्थानों पर अपने आपको असुरक्षित महसूस करती हैं। जैसे मानसिक रोग से ग्रसित रोगियों तथा अन्य गम्भीर बीमारियों(दैवीय आपदा एवं मोबाईल सेवाओं) में पुरूष नर्सेस की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो सके तथा समुचित उपचार प्राप्त हो सके। अन्य प्रदेशों में पुरूष अभ्यर्थियों की नियुक्ति 50 प्रतिशत तक की जा रही है।	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 के स्थान पर 10 प्रतिशत पुरूष अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं नियुक्ति में तैनात किये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जो कि बहुत कम था, किन्तु शासन द्वारा स्वीकृति जारी नहीं हो सकी है, जिसे 25 प्रतिशत करते हुए स्वीकृति जारी की जाय।

राजकीय नर्सेस संघ, उत्तर प्रदेश
RAJKIYA NURSES SANGH, UTTAR PRADESH
(Recognised by U.P. Govt. No. 4882/16-16-13-79-8 (201)-/79 Dated 24-9-79)

कार्यालय :
मिडइफरी बिल्डिंग, नर्सेस हास्टल,
के०जी०एम०यू०, लखनऊ

पत्रांक :

दिनांक :.....

संस्थापक :
प्रो. आर.के. दुबे

अध्यक्ष :
पूनम शर्मा
9935406547

महामंत्री :
अशोक कुमार
9415139203

कोषाध्यक्ष :
जितेन्द्र बहादुर सिंह
9450649900

उपाध्यक्ष :
राजेन्द्र शुक्ला
राकेश शर्मा
सुमित्रा पाण्डेय
सुशीला राज
जरीना कुसमिथ

संयुक्त सचिव :
तारा चौहान
महेन्द्र सिंह राठौर
हृदय नारायण राजपूत
शालिनी भटनागर
लीना एलिजाबेथ लाल

आडीटर :
इन्द्रा चतुर्वेदी

8.	नर्सेस सवंर्ग की सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाना।	प्रदेश में नर्सेस संवर्ग की सेवा निवृत्त आयु 60 वर्ष है तथा नर्सेस की कमी भी है। अनुभवी नर्सेस के सेवानिवृत्त होने से कार्य में व्यवधान होता है। अन्य राज्यों में सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गयी है।	मध्यप्रदेश सरकार एवं अन्य राज्यों में नर्सेज की सेवानिवृत्त 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गयी है। इसी प्रकार उ०प्र० में भी नर्सिंग कर्मियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए सेवानिवृत्त 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जाय, जिसका प्रस्ताव भी महानिदेशालय द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है।
9.	पुरस्कृत श्रेणी में नर्सेस संवर्ग को लाना।	प्रदेश में नर्सों की कमी एवं कार्य की अधिकता तथा नये-नये रोगों के उपचार की जटिलता आदि को सम्बन्धन करते हुए नर्सें अपनी ड्यूटी पर सदा मुस्तैद रहती हैं किन्तु इनकी विशिष्ट सेवा को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें पुरस्कृत श्रेणी में नहीं रखा गया है, जिससे इस सवंर्ग में उदासीनता तथा कार्य के प्रति अरूचि उत्पन्न होती है। नर्सेस सवंर्ग को पुरस्कृत श्रेणी में रखे जाने की संघ मांग करता है।	भारत सरकार में प्रतिवर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगिल पुरस्कार नर्सेस की उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। अन्य प्रदेशों में भी नर्सेस को पुरस्कृत श्रेणी में रखा गया है। उ०प्र० में पुलिस एवं शिक्षकों को पुरस्कृत श्रेणी में रखा गया है, उसी तरह प्रदेश में भी उक्त व्यवस्था नर्सेस संवर्ग हेतु लागू की जाय।
10.	राजकीय नर्सेस संघ उ०प्र० हेतु कार्यालय आवंटित किये जाने के संबंध में।	प्रदेश में अन्य सवंर्ग का राज्य स्तरीय कार्यालय है, जबकि राजकीय नर्सेस संघ उ०प्र० का कोई भी प्रदेश स्तर पर कार्यालय आवंटित नहीं है, जिसे आवंटित किया जाना नितान्त आवश्यक है। वर्तमान में अस्थायी रूप से मेडिकल कालेज, लखनऊ के मिडइफरी बिल्डिंग, नर्सेस हास्टल में है। यहां यह भी अवगत कराना है कि राजकीय नर्सेस संघ विभाग का सबसे बड़ा संघ है।	अन्य सभी सवंर्ग के प्रदेश स्तर पर लखनऊ में कार्यालय स्वास्थ्य भवन व बलरामपुर चिकित्सालय में आवंटित है। अतः राजकीय नर्सेस संघ का प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्वास्थ्य भवन, बलरामपुर चिकित्सालय परिसर अथवा ला० आर०एम०एल० संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर में आवंटित किया जाय।

राजकीय नर्सेस संघ, उत्तर प्रदेश
RAJKIYA NURSES SANGH, UTTAR PRADESH
(Recognised by U.P. Govt. No. 4882/16-16-13-79-8 (201)-/79 Dated 24-9-79)

कार्यालय :
मिडइफरी बिल्डिंग, नर्सेस हास्टल,
के०जी०एम०यू०, लखनऊ

संस्थापक :
प्रो. आर.के. दुबे

अध्यक्ष :
पूनम शर्मा
9935406547

महामंत्री :
अशोक कुमार
9415139203

कोषाध्यक्ष :
जितेन्द्र बहादुर सिंह
9450649900

उपाध्यक्ष :
राजेन्द्र शुक्ला
राकेश शर्मा
सुमित्रा पाण्डेय
सुशीला राज
जरीना खुसमिथ

संयुक्त सचिव :
तारा चौहान
महेन्द्र सिंह राठौर
हृदय नारायण राजपूत
शालिनी भटनागर
लीना एलिजाबेथ लाल

आडीटर :
इन्द्रा चतुर्वेदी

पत्रांक : दिनांक :.....

अतः श्रीमान् जी से विनम्र अनुरोध है कि उक्त मांगों की प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए निराकरण कराये जाने की कृपा करें, जिससे नर्सेस संवर्ग में व्याप्त असंतोष दूर किया जा सके।

आदर !

भवदीय

(पूनम शर्मा)
अध्यक्ष

(अशोक कुमार)
महामंत्री

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, विकास भवन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ।
3. निदेशक(चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ।
4. अध्यक्ष / महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ0प्र0, 39बी, दारूलशफा, लखनऊ।
5. समस्त समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, उ0प्र0, लखनऊ।

(अशोक कुमार)
महामंत्री